विवरण

क्र०सं० नाम तथा पदनाम

सर्व श्री,

1. चरण सिंह, पी आई
2. जगपाल सिंह, फोन मेकेनिक
3. अजय कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक
4. आर एस मेहता, एस एस
5. डी पी शर्मा, फोन मेकेनिक
6. वी०पी० शर्मा, डब्ल्यू/एम
7. जय सिंह, डब्ल्यू एम
8. दादरी राम, टी टी ए
9. एम एल चांदना, ए ई
10. वी के सहगल, एस डी ओ पी
11. एस एस मिश्रा, टी ओ
12. अनिल अग्रवाल, तकनीशियन
13. ए के राय, आर/एम

एम टी एन एल, मुंबई

1. के० एम० अल्वा, एस डी ई
2. एस एम चौरसिया, फोन मेकेनिक
3. ए० आर० गावडे, वायरमेन
4. आर के शेट्टी, तकनीशियन

विदेशों में हिन्दुओं द्वारा शव-दाह

2782. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व के किस-किस देश में हिन्दुओं को शव-दाह की अनुमति नहीं है;

(ख) क्या हिन्दुओं की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शव-दाह अनिवार्य है और उन्हें इस अधिकार का प्रयोग न करने देने का अर्थ हिन्दुओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा उन देशों की सरकारों से हिन्दुओं को शव-दाह की अनुमति दिलाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) सउदी अरब, कतर, जोर्डन, कुवेत, सेनेगल, गाम्बिया, माली, ट्यूनीशिया, इस्तानबुल, मारितानिया, केप वर्डे द्वीप, गिनी बिताउ, यूनान, मालदीव, इस्राइल, लीबया, बुरकीना फासो तथा माल्टा में शवों के दाह-संस्कार की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) जी नहीं। उपर्युक्त देशों में मृतक के सबसे निकट के संबंधी, अगर वे चाहें तो शवों को या तो सबसे निकट के देश, जहां दाह-संस्कार की अनुमति है, में ले जा सकते हैं या दाह-संस्कार के लिए गृह देश ले जा सकते हैं। हालांकि उपर्युक्त किसी भी देश में दफनाने पर प्रतिबंध नहीं है।

(ग) इन देशों में, संबद्ध अधिकारियों के साथ जब यह बात उठाई गई, तो उनमें से कुछ ने हमारा अनुरोध मानने में असमर्थ होने के लिए औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया है क्योंकि इससे उनके अपने उन कानूनों प्रथाओं तथा औपचारिक विधिक मत (फतवा) का उल्लंघन होता है, जिसके अन्तर्गत शवों का अंतिम संस्कार सिर्फ दफनाने द्वारा ही निर्धारित है। हालांकि यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस आधार पर हिंदुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है तथा ये नियम अन्य देशों के राष्ट्रिकों या अन्य धर्म को मानने वालों पर भी लागू होता है।

Procurement of Turbo-Generating sets for Sardar Sarovar Project

2783. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that non availability of OECF loan for procurement of Turbo-Generating sets for River Bed Power House of the Sardar Sarovar Project is being delayed;

(b) if so, whether alternatives are being considered by the Union Government;

(c) whether Government are aware that a stalemate is created with regard to non-availability of OECF loan and non-operating of Letter of Credit with M/s. Sumitomo Corporation, Japan; and

(d) if so, the action being taken or proposed by Government to resolve the stalemate?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) In the 7th meeting of the Review Committee for Narmada Control Authority (RCNCA) held on 13th